भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2651

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

तमिलनाडु में सीएसआर के अंतर्गत उपयोग की गई निधि

2651. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विशेष रूप से चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में पिछले छह वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों/कार्यक्रमों के साथ-साथ उपयोग की गई और अप्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सीपीएसयू ने ऐसे सीपीएसयू से सीएसआर निधि प्राप्त करने के लिए एएए रेटिंग जैसी बहुत सख्त पात्रता शर्तें लागू की हैं और परिणामस्वरूप केवल कुछ ही सीएसआर निधि प्राप्त कर पाते हैं और अधिकांश सीएसआर निधि का उपयोग केवल मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नियमों के अनुसार सीएसआर निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों के ब्यौरे फाइल करने होते हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले छह वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2017-18 से 2022-23 के दौरान तमिलनाडु में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा किया गया विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और II में संलग्न है। पिछले छह वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2017-18 से 2022-23 के दौरान चेन्नई जिले सहित तमिलनाडु में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा व्यय किया गया जिलावार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- III और IV में संलग्न है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2020 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 135 में कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि अव्ययित सीएसआर राशि का उपयोग का प्रावधान किया जा सके। चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर अव्ययित राशि को कंपनी के विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित करना अपेक्षित है और उसे ऐसे अंतरण की तारीख से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में व्यय करना होगा। तीन वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद, अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को अधिनियम की अनुसूची-VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। चालू परियोजना के अतिरिक्त अन्य के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में अव्ययित सीएसआर राशि को स्थानांतरित करना अपेक्षित है।

जारी.....2/-

(ख) और (ग): सीएसआर के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची VII उन क्षेत्रों या कार्यकलापों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। कंपनी के बोर्ड को कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के तहत परिभाषित अपनी सीएसआर कार्यकलापों को या तो स्वयं द्वारा या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से करने का अधिकार है। प्रत्येक पात्र कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होते हैं। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों को इंगित करती है। कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उन्हे निष्पादन करता है और उनकी निगरानी करता है।

(घ): कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित धन का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और उसी तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।

सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा सीएसआर निधियों के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करने और कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) में संदर्भित।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक तमिलनाडु में पीएसयू द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	-	0.01	-	0.01	-	-
2	पशु कल्याण	-	-	0.15	0.20	0.20	0.05
3	सशस्त्र बल, वीरांगना, युद्ध विधवाएं /आश्रित	-	0.05	0.10	0.00	0.10	-
4	कला और संस्कृति	1.03	0.40	1.92	0.34	0.17	27.31
5	शिक्षा	16.37	29.07	32.72	28.40	29.00	36.20
6	पर्यावरणीय स्थिरता	4.25	11.90	11.65	0.90	16.06	3.04
7	लैंगिक समानता			1.72	0.02		0.17
8	स्वास्थ्य देखभाल	10.93	16.56	53.99	13.81	17.91	16.37
9	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	0.51	2.42	1.01	0.15	0.50	-
10	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	13.47	0.02	-	-	0.18	0.76
11	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	20.01	29.63	17.31	8.07	1.37	1.19
12	स्वच्छ पेयजल	0.67	1.83	1.33	1.47	1.17	1.43
13	स्वच्छता	2.43	6.18	1.89	15.93	5.10	7.18
14	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.93	0.04	0.15	0.19	0.07	0.07
15	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	0.00	-	0.05	4.07	0.00	-
16	सामाजिक-आर्थिक समानता	0.37	4.98	0.00	0.32	-	-
17	विशेष शिक्षा	3.01	0.69	0.21	0.27		0.70
18	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	-	0.00	1.05	-	-	-
19	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	0.60	1.25	0.90	0.00	0.31	2.36
20	व्यावसायिक कौशल	0.11	9.71	1.90	2.66	2.51	2.93
21	महिला सशक्तिकरण	1.40	0.51	0.08	0.07	-	2.65
कुल		**76.10**	**115.24**	**128.13**	**76.88**	**74.65**	**102.42**

****

अनुलग्नक-II

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) में संदर्भित।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक तमिलनाडु में गैर-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	0.48	2.64	0.15	1.18	1.60	2.63
2	पशु कल्याण	1.31	2.02	2.85	5.41	9.08	8.75
3	सशस्त्र बल, वीरांगनाएं, युद्ध विधवाएं /आश्रित	0.25	0.78	0.27	0.27	1.09	1.00
4	कला और संस्कृति	9.45	6.59	10.80	43.06	8.79	8.48
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	5.41	4.93	6.01	10.33	14.46	26.67
6	शिक्षा	282.77	286.70	418.64	379.32	383.33	598.84
7	पर्यावरणीय स्थिरता	22.83	35.36	74.11	97.83	119.67	90.62
8	लैंगिक समानता	0.34	0.35	2.03	1.10	3.46	1.48
9	स्वास्थ्य देखभाल	117.39	165.42	185.59	280.72	409.54	328.71
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	12.69	20.42	28.85	35.66	37.12	65.03
11	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	31.42	20.57	31.11	71.03	194.87	35.00
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	31.07	118.53	35.00	50.95	47.17	80.24
13	स्वच्छ पेयजल	6.27	12.84	9.31	17.16	9.65	10.86
14	स्वच्छता	10.60	10.55	7.71	18.16	11.77	20.26
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	4.71	2.06	2.27	2.25	3.33	7.98
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	3.23	2.96	2.12	2.14	8.31	0.73
17	अनाथालय की स्थापना	0.74	0.57	1.24	0.37	1.78	2.21
18	स्लम क्षेत्र विकास	1.65	0.52	0.12	4.07	1.14	6.53
19	सामाजिक-आर्थिक समानता	5.75	9.86	4.76	5.86	16.80	5.97
20	विशेष शिक्षा	4.54	11.88	3.65	7.83	9.07	16.34
21	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	2.25	4.70	5.09	4.89	0.26	0.38
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	11.13	16.48	21.82	11.23	16.07	26.08
23	व्यावसायिक कौशल	23.14	19.93	80.23	36.34	33.48	90.63
24	महिला सशक्तिकरण	4.15	5.19	7.86	10.00	15.57	20.80
25	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	0.00	0.00	2.53	0.04	0.00	
कुल		**593.55**	**761.84**	**944.13**	**1097.19**	**1357.41**	**1456.24**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो सेक्टर के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक सेक्टर को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक - III

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) में संदर्भित।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक तमिलनाडु में पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	अरियालुर	0.15	-	-	-	-	-
2	चेंगलपट्टू	-	-	-	0.22	-	-
3	चेन्नई	8.88	2.53	14.38	6.29	29.12	16.86
4	कोयम्बटूर	0.20	0.03	1.69	0.06	0.32	2.41
5	कुड्डालोर	0.14	-	0.02	29.58	17.34	20.87
6	धर्मपुरी	-	-	-	0.75	-	0.05
7	डिंडीगुल	0.47	-	0.09	-	0.33	2.16
8	ईरोड	0.14	-	-	-	-	0.17
9	कल्लाकुरिची	-	-	-	1.16	-	-
10	कांचीपुरम	0.65	8.27	-	-	0.97	5.47
11	कन्याकुमारी	-	0.07	0.17	0.00	0.17	0.17
12	करूर	-	0.08	-	-	1.10	6.96
13	कृष्णागिरी	0.40	0.11	-	-	0.15	0.11
14	मदुरै	7.52	-	3.68	0.28	3.31	5.93
15	मयिलादुथुराई	-	-	-	-	-	-
16	नागपट्टिनम	-	0.15	2.79	9.76	0.47	0.54
17	नमक्कल	0.20	-	-	-	0.49	-
18	पेरम्बलुर	-	-	-	-	0.03	-
19	पुदुक्कोट्टई	0.02			0.00	0.00	0.06
20	रामनाथपुरम	-	-	0.13	1.70	0.86	2.00
21	रानीपेट	-	-	-	0.00	0.06	-
22	सलेम	0.72	0.52	0.41	0.49	0.14	1.93
23	शिवगंगा	0.04	-	-	-	0.62	0.55
24	तेनकासी	-	-	0.07	-	-	-
25	तंजावुर	-	-	-	-	-	0.53
26	नीलगिरी	-	-	-	-	0.10	0.11
27	थेनी	-	-	-	-	-	0.26
28	तिरुवल्लुर	-	-	5.10	3.00	0.43	0.10
29	तिरुवरूर	-	0.08	-	-	-	0.08
30	थूथुकुडी	0.30	1.36	0.06	0.21	1.21	0.16
31	तिरुचिरापल्ली	-	-	0.60	0.18	0.26	0.75
32	तिरुनेलवेली	-	12.81	0.64	0.82	-	0.07
33	तिरुपथुर	-	-	-	-	-	-
34	तिरुपुर	-	-	0.00	-	-	-
35	तिरुवन्नामलाई	-	-	0.04	-	-	-
36	वेल्लोर	-	0.01	0.75	0.48	0.55	1.14
37	विलुप्पुरम	-	-	-	0.46	0.89	1.41
38	विरुधुनगर	-	-	0.51	0.82	0.03	1.41
39	जिले को अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है*	56.26	89.23	97.02	20.62	15.69	30.17
कुल		**76.10**	**115.24**	**128.13**	**76.88**	**74.65**	**102.42**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* मूल्य उन प्रकटनों से जुड़ा है जिनमें किसी भी जिले का उल्लेख नहीं किया गया है।

*****

अनुलग्नक - IV

दिनांक 17.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) में संदर्भित।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक तमिलनाडु में गैर-पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)							
क्रमांक	**जिला**	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
1	अरियालुर	-	-	0.10	3.17	0.17	-
2	चेंगलपट्टू	0.00	0.28	2.24	6.02	1.11	1.50
3	चेन्नई	120.34	195.95	280.78	328.59	666.75	632.68
4	कोयम्बटूर	35.79	44.84	59.70	88.57	139.22	138.11
5	कुड्डालोर	2.74	3.66	10.58	11.38	20.30	55.09
6	धर्मपुरी	0.47	0.20	0.57	0.32	1.87	0.31
7	डिंडीगुल	2.04	2.72	4.33	8.54	6.23	11.53
8	ईरोड	0.65	6.73	6.86	6.00	18.85	26.31
9	कल्लाकुरिची	-	-	-	0.19	0.01	-
10	कांचीपुरम	8.23	22.10	25.98	33.69	61.14	114.81
11	कन्याकुमारी		4.12	0.93	1.69	5.27	3.95
12	करूर	2.75	3.14	7.49	7.15	7.92	9.77
13	कृष्णागिरी	7.12	12.25	24.29	15.13	17.83	17.28
14	मदुरै	1.84	4.74	7.18	11.52	21.00	46.17
15	मयिलादुथुराई	-	-	-	-	-	-
16	नागपट्टिनम	1.91	2.71	0.73	1.44	1.83	2.87
17	नमक्कल	1.52	2.32	5.20	11.03	6.01	8.17
18	पेरम्बलुर	-	0.05	0.49	0.96	2.18	1.71
19	पुदुक्कोट्टई	0.17	1.66	2.57	2.74	3.72	2.61
20	रामनाथपुरम	1.54	1.14	7.29	13.27	13.10	7.81
21	रानीपेट	-	0.41	0.94	5.75	0.19	0.40
22	सलेम	0.95	3.61	4.46	10.35	12.64	13.05
23	शिवगंगा	1.67	0.27	0.12	1.35	3.89	10.25
24	तेनकासी	-	-	0.06	2.13	0.29	0.05
25	तंजावुर	3.79	12.07	15.51	38.98	20.81	13.23
26	नीलगिरी	0.10	1.63	1.41	3.01	7.86	13.48
27	थेनी	0.41	0.09	0.83	0.85	2.93	5.86
28	तिरुवल्लुर	0.65	2.79	11.23	14.62	25.62	54.18
29	तिरुवरूर	-	0.14	-	0.77	3.58	3.97
30	थूथुकुडी	6.80	11.83	15.51	9.81	42.66	12.72
31	तिरुचिरापल्ली	3.84	0.08	95.30	13.53	17.55	17.94
32	तिरुनेलवेली	1.01	7.83	2.10	3.80	9.03	18.91
33	तिरुपथुर	-	-	0.00	0.31	0.06	0.05
34	तिरुपुर	0.46	0.70	9.20	9.31	4.53	0.34
35	तिरुवन्नामलाई	0.92	0.32	1.72	3.73	4.44	9.99
36	वेल्लोर	4.96	6.80	12.40	10.25	20.78	24.02
37	विलुप्पुरम	0.34	0.46	3.99	6.16	7.59	7.07
38	विरुधुनगर	5.69	7.04	13.37	15.76	19.06	22.32
39	जिले को अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है*	374.85	397.18	308.68	395.32	159.41	147.69
कुल		**593.55**	**761.84**	**944.13**	**1097.19**	**1357.41**	**1456.24**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*** मूल्य उन प्रकटनों से जुड़ा है जिनमें किसी भी जिले का उल्लेख नहीं किया गया है।**

****